राजस्थान सरकार
जन अभियोग निराकरण विभाग

कमांक: प.4(13) आरपीजी/एएस/2004 जयपुर, दिनांक 4/3/2022

विषय:– राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति का गठन।

महामहिम राज्यपाल महोदय राजस्थान राज्य में राज्य स्तरीय जन अभियोग निराकरण समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं । इस समिति में निम्न सदस्य होंगेः–

1.	श्री पुखराज पाराशर (आदेश कमांक प0 4(13)आर.पी.जी/एएस/एफ/2004 दिनांक 10.02.2022 द्वारा नियुक्त)	अध्यक्ष
2.	श्री भंवर मेघवंशी	सदस्य
3.	श्री शंकर डंगायच	सदस्य
4.	श्री शब्बीर अहमद	सदस्य

इनके अतिरिक्त अभियोग एवं शिकायतों की संख्या एवं उनमें अंकित अभियोगों की प्रकृति के आधार पर संबंधित विभाग के संबंधित सचिव/विभागाध्यक्ष को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में आमंत्रित करने का भी प्रस्ताव है।

समिति का प्रशासनिक विभाग जन अभियोग निराकरण विभाग है।

यह समिति निम्न प्रकार कार्य सम्पादित करेगी।

1. विभागों में जन अभियोगों के बकाया की स्थिति का आंकलन करना एवं इसके कारणों का विश्लेषण करना।
2. जन अभियोग का समयबद्व सीमा में त्वरित निस्तारण की कार्यवाही करना।
3. प्रशासन के सभी स्तरों यथा पंचायत, ब्लॉक, उपखण्ड, जिला एवं विभाग के स्तर पर जन अभियोगों के निराकरण हेतु प्रारूप (Model) विकसित करना एवं अभिशंषा करना।
4. अभिशंषित प्रारूप के अनुरूप कियान्विति के स्तर की निगरानी करना एवं कियान्विति सुनिश्चित करना।
5. जन प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर उनसे फीडबैक लेना एवं आवश्यकतानुसार जन अभियोग निराकरण की प्रकिया में परिवर्तित करना।

उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य मंत्री सचिवालय के जन अभियोगों का पर्यवेक्षण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से

(रमेश चन्द्र बंसल)
उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, जन अभियोग निराकरण विभाग।
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, जन अभियोग निराकरण समिति, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य के समस्त संसद सदस्यगण, राजस्थान।
7. राज्य के समस्त विधानसभा, सदस्यगण, राजस्थान।
8. राज्य के समस्त जिला प्रमुख, राजस्थान
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/शासन विशिष्ट सचिवगण।
11. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स।
    समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
12. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, जयपुर को 08 प्रतियों सहित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग एवं प्रकोष्ठ।
14. अध्यक्ष/सचिव, समस्त निगम/बोर्ड/स्वायत्तशाषी संस्थाएँ, राजस्थान ।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर ।
16. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
17. वितीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
18. पंजीयक, शासन सचिवालय, जसपुर।

उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner